

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
सी. एम. पी. संख्या 408/2019

अमित कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

.....उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंत बिजय सिंह

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बिनोद कुमार झा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विजय कांत दूबे, एससी (एल एंड सी)-III के एसी

बी. सी. सी. एल. के लिए : श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता।

श्री अजय कुमार साह, अधिवक्ता

03/दिनांक: 29/11/2019

याचिकाकर्ता की ओर से यह तत्काल सीएमपी, अवमानना वाद (सिविल) संख्या 891/2017 की मूल फाइल में पुनर्बहाली के लिए दायर किया गया है, जो दिनांक 03.08.2018 के आदेश का अनुपालन न करने के कारण 10.08.2018 को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

तत्काल याचिका के पैरा-6 और 7 में दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, अवमानना वाद (सिविल) संख्या 891/2017 को मूल फाइल में पुनः बहाल किया जाता है।

तदनुसार, 2019 की सीएमपी संख्या 408 में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

(अनंत बिजय सिंह, न्याया0)

सुनील/

